इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना किए जाने संबंधी मामले

*536. **श्री राम गोपाल यादव :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना के कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) क्या न्यायालय की अवमानना किए जाने संबंधी मामलों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए प्रभावी विधान बनाए जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) उच्च न्यायालय से तत्काल उपलब्ध जानकारी के अनुसार 30-6-1991 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायालय अवमान के 5870 मामले लंबित थे।

(ख) न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 पहले से ही विद्यमान है। उक्त अधिनियम की धारा 11, उच्च न्यायालय को अपने या अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय के अवमान की जांच करने या उसका विचारण करने के लिए सशक्त करती है। इस अधिनियम में जुर्माने से या कारावास से या दोनों से दंड के लिए भी उपबंध है।

मध्य प्रदेश में जिला सैनिक बोर्डों के कार्यकरण

*537. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में जिला सैनिक बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इन बोर्डों के क्रिया-कलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बोर्डों, विशेष रूप से राज्य के पहाड़ी जिलों की कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए कतिपय विशेष कदम उठाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) 1. राज्य सैनिक बोर्ड तथा जिला सैनिक बोर्ड राज्य सरकारों के अधीन कार्य करते हैं। जिला सैनिक बोर्डों की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण करना राज्य सैनिक बोर्डों के कार्यक्षेत्र में आता है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्य सैनिक बोर्ड ने उस राज्य में जिला सैनिक बोर्डों की कार्य प्रणाली की समीक्षा कर ली है।

2. मध्य प्रदेश में विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)।**

3. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ने राज्य सैनिक बोर्डों तथा जिला सैनिक बोर्डों की कार्य प्रणाली के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं और उनकी कार्य प्रणाली की राज्य सरकारों द्वारा समीक्षा की जाती है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में फिलहाल कोई संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।